

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश  
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक 3/अधोविक/2(अ)/2017/39

भोपाल, दिनांक : 21-7-2020

:: स्वीकृति एवं आवंटन आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक 3/अधोविक/2(अ)/2017/08, दि. 29.01.2018 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बांधका तहसील घटिया जिला उज्जैन मे अधोसंरचना विकास कार्यो अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन के पक्ष में राशि रूपये 205.48 लाख (शब्दों में राशि रूपये दो करोड पांच लाख अढ़तालिस हजार मात्र)की प्रशासकीय स्वीकृति प्रसारित की गई है, जिसके विरुद्ध आदेश क्रमांक 10 दिनांक 29.01.2018 से राशि रूपये 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रसारित की गई है, एवं स्वीकृत राशि का उपयोग न होने से वित्तीय वर्ष 2018-19 मे प्राप्त आवंटन में से आदेश क्रमांक 97 दिनांक 27.09.2018 द्वारा राशि रूपये 55.00 लाख का पुनःआवंटन किया गया है, लेकिन क्रियान्वयन संस्था द्वारा राशि का उपयोग नही करने के कारण दिनांक 30.03.2019 को राशि समर्पित कर दी गई है, की सूचना कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन के पत्र क्र. 2463, दिनांक 29.06.2019 द्वारा दी गई।

प्रकरण में प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 6629 दिनांक 30.11.19 से प्राप्त राशि की मांग अनुसार आदेश क्रमांक 01 दिनांक 04.01.2020 द्वारा राशि रूपये 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रसारित की गई है।

वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका के भाग-1, खण्ड-8 के आयटम क्रमांक-4 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन के पक्ष में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास कार्य मद में प्राप्त आवंटन में से राशि रूपये 50.00 लाख (शब्दों में राशि रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि रूपये 50.00 लाख का आवंटन प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल को बीसीओ कोड क्रमांक 5803 में एतद् द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका आहरण निम्न बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-

मांग संख्या-35, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

दो- पूंजी अनुभाग

4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

(101)-औद्योगिक बस्तियां

0101- सामान्य

(6750)-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास

64-वृहद निर्माण कार्य

001- वृहद निर्माण कार्य

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

- 54 /  
( शरद कुमार मराठी )  
लेखाधिकारी,

कृते उद्योग आयुक्त, म0प्र0

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन मध्यप्रदेश, 41 अरेरा हिल्स प्रशासनिक क्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, वी-विंग द्वितीय तल विध्यांचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कलेक्टर, जिला उज्जैन म0प्र0।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, उज्जैन की ओर पर्यवेक्षण हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
8. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग उज्जैन म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि स्वीकृत कार्य अंतर्गत अत्युक्त राशि का पूर्ण उपयोग कर संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करें।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन (म0प्र0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि, अपने स्तर से कार्य की प्रगति से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही.एस.एल.सेल, जे.बी.सी लिमिटेड उज्जैन, म0प्र0 की ओर भेजकर लेख है कि परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि आपके द्वारा व्यय करने के पश्चात् शेष राशि शासन द्वारा जारी की जावेगी।
11. लेखाधिकारी, योजना बजट कक्ष, संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. श्री अशोक सरौने, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत राशि रु. 50.00 लाख (रु. पचास लाख मात्र ) प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग को बीसीओ कोड क्रमांक 5803 में स्थानांतरित करें।

*Sharma*

लेखाधिकारी,  
उद्योग संचालनालय, म0प्र0

१

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश  
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक 3/अधोविक/2(अ)/2017/40

भोपाल, दिनांक : 21-7-2020

:: स्वीकृति एवं आवंटन आदेश ::

संचालनालय के आदेश क्रमांक 3/अधोविक/2(अ)/2017/42, दि. 23.03.2017 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बांधका तहसील घटिया जिला उज्जैन से अधोसंरचना विकास कार्यो अन्तर्गत एप्रोच रोड निर्माण (स्टील प्लांट तक) एवं ह्यूम पाईप पुनरिा निर्माण आदि कार्यो हेतु कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, उज्जैन के पक्ष में राशि रूपये 178.92 लाख (शब्दो में राशि रूपये एक करोड अट्ठहत्तर लाख बयानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रसारित की गई है। स्वीकृत राशि का उपयोग न होने से वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन में से आदेश क्रमांक 131 दिनांक 26.09.2017 द्वारा राशि रूपये 178.92 लाख का पुर्नआवंटन किया गया है।

प्रकरण में क्रियान्वयन संस्था ने अपने पत्र क्रमांक 4069, दिनांक 14.09.2018 से सूचित किया है कि आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम त्रैमास में प्राप्त हुआ, तत्समय कार्यो के देयक प्राप्त नहीं होने से राशि का भुगतान नहीं हो सका एवं राशि दिनांक 31.03.2018 को समर्पित कर दी गई है। तत्पश्चात् संस्था की मांग अनुसार आदेश क्रमांक 96 दिनांक 24.09.2018 द्वारा राशि रूपये 160.00 लाख का पुनः पुर्नआवंटन किया गया, जिसमें से संस्था द्वारा राशि रूपये 86,62,8,48/-का उपयोग करने हुये वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राशि रूपये 73,37,152/-समर्पित कर दी गई है।

प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा म0प्र0 भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 6629 दिनांक 30.11.19 से प्राप्त राशि की मांग अनुसार से आदेश क्रमांक 02 दिनांक 04.01.2020 द्वारा राशि रूपये 73.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रसारित की गई है।

वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका के भाग--1, उपखंड--8 के आयटम क्रमांक--4 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन के पक्ष में वित्तीय वर्ष 2020-21 से विधायक कार्य भद से प्राप्त आवंटन में से राशि रूपये 50.00 लाख (शब्दो में राशि रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि रूपये 50.00 लाख का आवंटन प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल को बीसीओ कोड क्रमांक 5803 में एतद् द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका आहरण निम्न बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-

- मांग संख्या-35, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
- दो- पूंजी अनुभाग
- 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- (101)-औद्योगिक बस्तिया
- 0101- सामान्य
- (6750)--सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास
- 64-वृहद् निर्माण कार्य
- 002- उप वृहद् निर्माण कार्य

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

Sd -

( शरद कुमार मराठी )

कमांक 3/अधोविक/2(अ)/2017/2353-2364 भोपाल, दिनांक : 21-7-2020  
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. मुख्य तकनीकी परीक्षक, (सतर्कता) संगठन मध्यप्रदेश, 41 अरेरा हिल्स प्रशासनिक क्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, वी-विंग द्वितीय तल विध्यांचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कलेक्टर, जिला उज्जैन, म0प्र0।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, उज्जैन की ओर पर्यवेक्षण हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
8. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि स्वीकृत कार्य अंतर्गत उपर्युक्त राशि का पूर्ण उपयोग कर संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन के माध्यम से संपन्न कार्य को नक्शों पर अंकित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करें।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन (म0प्र0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि, अपने स्तर से कार्य की प्रगति से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही.एस.एल.सेल, जे.बी.सी लिमिटेड उज्जैन, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. लेखाधिकारी, योजना बजट कक्ष, संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. श्री अशोक सरोने, सहायक प्रबंधक, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत राशि रु. 50.00 लाख (रु. पचास लाख मात्र ) प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल को बीसीओ कोड कमांक 5803 में स्थानांतरित करें।

*Shivraj*

लेखाधिकारी,  
उद्योग संचालनालय, म0प्र0